न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या 95/2015

नत्थुराम पुत्र श्री लाधूराम जाति मेघवाल निवासी न्यौलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

––अपीलांट्

बनाम

1.उमादेवी पत्नि निराणाराम जाति जाट नि0 न्यौलखी तह0 रावतसर
2.हनुमान पुत्र निराणा राम जाति जाट नि0 न्यौलखी तह0 रावतसर
3.गुड्डीदेवी पुत्री निराणाराम जाति जाट नि0 न्यौलखी तह0 रावतसर
4.राजबाला पुत्री निराणाराम जाति जाट नि0 न्यौलखी तह0 रावतसर
5.भंवरी पुत्री निराणाराम जाति जाट नि0 न्यौलखी तह0 रावतसर
6.गुड्डी देवी पत्नि रायसिंह जाति जाट नि0 न्यौलखी तह0 रावतसर
7.भजन लाल पुत्र रायसिंह जाति जाट नि0 न्यौलखी तह0 रावतसर
8.रामदेव पुत्र रायसिंह जाति जाट नि0 न्यौलखी तह0 रावतसर
9.चन्द्रकला पुत्री रायसिंह जाति जाट नि0 न्यौलखी तह0 रावतसर
10. शर्मिला पुत्री राय सिंह जाति जाट नि0 न्यौलखी तह0 रावतसर
11. तहसीलदार (राजस्व) रावतसर

–रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल आर एक्ट
विरूद्ध आवंटन एवं उपखण्डाधिकारी, रावतसर दिनांक 6.06.2014

उपस्थितिः–

श्री देवदत भिडासरा, अभिभाषक अपीलांट
श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेन्टस
श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णयः– दिनांकः–28.02.2019

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार है कि निराणाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी न्यौलखी मार्फत हनुमान पुत्र निराणाराम ने उपखण्डाधिकारी, रावतसर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि निराणाराम को चक 7 के के एम की .937 हैक्टयर कमाण्ड भूमि किकरालिया माईनर मे आवाप्त हो गई है, प्रार्थी नहर में आवाप्त भूमि के

बदले में चक 5 एस पी डी बी व चक 2 के डी की भूमि चाही गई है, जो दूसरे काश्तकार को अलाट हो चुकी है। चक 3 डी डब्लयू एम की .468 व चक 7 के के एम ए की भूमि मौका पर खाली है इन दोनो चकों का रकबा विनियम में प्रार्थी को दिया जावे।

2. उपखण्डाधिकारी रावतसर द्वारा दिनांक 6.06.2014 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 7 के के एम ए की .734 हैक्टयर भूमि आवंटित करने का आदेश दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट की कुछ कृषि भूमि चक 7 के के मए ए में दर्ज है उक्त भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है, अपीलांट की इस भूमि के साथ चिपती आराजी सिवाय चक काबिज काश्त .734 हैक्टयर है जिसपर अपीलांट का कब्जा काश्त है व अपीलांट ने मेहनत लगाकर टीलों से समतल कर उपजाउ बनाया है, उक्त भूमि नगरपालिका सीमा एवं पेराफरी एरिया मे नही है। अपीलांट ने उक्त भूमि आवंटन हेतु उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष दिनांक 19.02.2013 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जिसपर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है व रिपोर्ट में उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांट का होना व रकबा स्मालपेच में आवंटन योग्य होना दर्शित किया गया है, स्मालपेच की भूमि विनियम में नही दी जा सकती व ऐसी भूमि के चिपते हुए काश्तकारों को ही आवंटित की जा सकती है इसलिए उक्त भूमि हर प्रकार से अपीलांट को आवंटित किये जाने योग्य थी। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकिया अपनाये बिना रेस्पोडैन्टस को उक्त भूमि आवंटित की गई है जो गलत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्टस ने कथन किये कि प्रश्नगत् भूमि श्री निराणा राम की किकरालिया माईनर में आवाप्त भूमि के बदले में दी गई है तथा नियमानुसार पूर्ण जांच कर तथा पूर्ण प्रकिया अपनाकर ही प्रश्नगत् भूमि आवंटन की कार्यवाही की है जो पूर्णतय सही है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अधिकारीता हासिल नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.06.2014 का है जिसके

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्व अपीलांट ने यह अपील दिनांक 19.08.2015 को प्रस्तुत की गई है जो स्पष्टतयः मियाद बाहर है व चलने योग्य नही है। इसी भूमि के सम्बन्ध में इन्ही आधारों पर इसी न्यायालय में एक अन्य अपील बअनवानी चन्दूराम बनाम उमादेवी अपील संख्या 1/2015 प्रस्तुत हुई थी जिसे बाद सुनवाई दिनांक 17.05.2017 को खारिज किया गया है। अपीलांट को न तो अपील करने की अधिकारीता है तथा न ही अपीलांट किसी प्रकार से प्रभावित एवं पीडित पक्षकार है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निराणाराम पुत्र रूपाराम की चक 7 के के एम की .937 हैक्टयर भूमि किकरालिया माईनर में आवाप्त हो गई थी जिससे अपीलांट ने भी कही इन्कारी नही की है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवाप्त भूमि की तबादले में भूमि प्राप्त करने हेतू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूल प्रार्थना–पत्र तहसीलदार रावतसर को प्रेषित कर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट मंगवाई व मुताबिक रिपोर्ट प्रश्नगत् भूमि मौका पर खाली पाई गई व प्रश्नगत् भूमि आराजी राज की भूमि थी तथा कोई विवाद आदि नही था तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वसाधारण को सूचना हेतू अधिसूचना जारी की गई व अखबार में प्रकाशित करवाई गई तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत् भूमि रेस्पोडैन्टस को आवंटित की गई है। इसके अलावा इन्ही तथ्यों के आधार पर पूर्व में चन्दुराम पुत्र श्री बुधराम जाति जाट निवासी न्यौलखी द्वारा एक अन्य अपील संख्या 1/2015 प्रस्तुत की गई थी, जिसकी प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है व विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट द्वारा मौजूदा अपील में भी प्रस्तुत की हुई है, उक्त अपील भी बाद सुनवाई खारिज होने योग्य से खारिज की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नही पाई गई जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6.06.2014 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

28/2/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)